HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1983/2026

Resham W/o Roshanlal D/o Shyoram Saini

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Jai Raj Tantiya
For Respondent(s) : Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

13/02/2026

प्रार्थीया–अभियुक्ता की ओर से धारा 482 बी. एन. एस. एस. के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना **बासदयाल, जिला–कोटपूतली बहरोड** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **165/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 189(2), 117(2), 110, बी.एन.एस.** में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिया को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया एक विवाहित महिला है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके विरूद्ध कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। वह दूसरे गांव की रहने वाली है। मामले के पक्षकार आपस में पडौसी है। इसी घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष की ओर से भी क्रॉस केस दर्ज करवाया गया है। प्रार्थीया–अभियुक्ता से हिरासत में जांच की आवश्यकता नहीं है तथा वह अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। ऐसे में प्राथीया–अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थिया–अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 117(2), 110, बी.एन.एस. का अभियोग है। उसकी अनुसंधान में आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थिया/अभियुक्ता पर कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष द्वारा भी क्रॉस केस दर्ज करवाया गया है, प्रार्थिया एक विवाहिता महिला है तथा उसके विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वह अनुसंधान में भाग लेकर उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर है। अतः प्रार्थीया–अभियुक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 23.2.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले। अनुसंधान अधिकारी आवश्यक अनुसंधान कर आगामी सुनवाई तिथि पर केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

पत्रावली दिनांक 9.3.2026 को सूचीबद्ध की जावे, तब तक इस प्रकरण में प्रार्थीया–अभियुक्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। प्रार्थी के दिनांक 23.2.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अन्तरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR/109